रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032020-216507
CG-DL-E-03032020-216507

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 2020/फाल्गुन 12, 1941
No. 87] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 2020/PHALGUNA 12, 1941

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/05.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 तथा 12 के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, -

I. विनियम 4 में, -

क. उप-विनियम (2) में, खंड (ङ) में, मौजूदा उप-खंड (ii) निम्नलिखित उप-खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(ii) निवेश प्रबंधक (इन्वेस्टमेंट मैनेजर) के पास अवसंरचना क्षेत्र (इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर) में निधि प्रबंधन (फंड मैनेजमेंट) या सलाहकार (एडवाइज़री) सेवाओं या निर्माण (डेवलपमेंट) में कम से कम

पाँच वर्षों का अनुभव है अथवा निवेश प्रबंधक के निदेशकों (डायरेक्टर्स)/भागीदारों (पार्टनर्स)/कर्मचारियों का अवसंरचना क्षेत्र में निधि प्रबंधन या सलाहकार सेवाओं या निर्माण में संयुक्त रूप से कम से कम 30 वर्षों का अनुभव है:

परंतु यह कि उनके संयुक्त अनुभव की गणना करने के लिए, केवल उन्हीं निदेशकों/भागीदारों/कर्मचारियों के अनुभव पर विचार किया जाएगा जिनका अवसंरचना क्षेत्र में निधि प्रबंधन या सलाहकार सेवाओं या निर्माण में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव हो।"

II. विनियम 14 में, -

क. उप-विनियम (4) में, खंड (ठ) में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"परंतु यह और कि अवसंरचना निवेश न्यास के लिए तीव्र-पथीय साधिकार निर्गम (फास्ट ट्रैक राइट्स इश्यू) के मामले में बोर्ड के पास प्रारूप प्रस्ताव दस्तावेज (ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट) दाखिल करना जरूरी नहीं होगा, बशर्ते कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई शर्तें पूरी की जाएँ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./473/19]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/10/1577 द्वारा, 26 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, तत्पश्चात्-
   क. 30 नवम्बर, 2016 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/021, द्वारा
   ख. 15 दिसम्बर, 2017 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2017-18/024, द्वारा
   ग. 10 अप्रैल, 2018 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2018 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/07, द्वारा
   घ. 22 अप्रैल, 2019 से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2019 सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/10, द्वारा

   संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd March, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/05.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with sections 11 and 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2020.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014,-

I. In regulation 4,-

a. in sub-regulation (2), in clause (e), the existing sub-clause (ii) shall be substituted with the following sub-clause, namely,-

"(ii) the investment manager has not less than five years of experience in fund management or advisory services or development in the infrastructure sector or the combined experience of the directors/partners/employees of the investment manager in fund management or advisory services or development in the infrastructure sector is not less than 30 years:

Provided that for computing the combined experience, only the experience of the directors/partners/employees with more than 5 years of experience in fund management or advisory services or development in the infrastructure sector shall be considered."

II. In regulation 14,-

a. in sub-regulation (4), in clause (l), the following new proviso shall be inserted after the first proviso, namely,-

"Provided further that the InvIT shall not be required to file draft offer document with the Board in case of a fast track rights issue, subject to the fulfillment of the conditions as specified by the Board from time to time."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./473/19]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was published in the Gazette of India on September 26, 2014 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/10/1577.

2. The Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 was subsequently amended by the –

a. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2016, *vide* No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/021, with effect from November 30, 2016;

b. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2017, *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2017-18/024, with effect from December 15, 2017.

c. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2018, *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/07, with effect from April 10, 2018.

d. Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) (Amendment) Regulations, 2019, *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/10, with effect from April 22, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.03.03 16:03:15 +05'30'